



356266 - जब वह छोटा था, तब उसने मस्जिद से कुरआन की एक प्रति ली और वह अभी भी उसके घर में उसके साथ है, उसे क्या करना चाहिए?

प्रश्न

जब मैं छोटा था, तो मैं एक मस्जिद में कुरआन याद करता था। हम रंगीन 'यासीन' चतुर्थ भाग से कुरआन याद करते थे। जब हमारे शैख (अध्यापक) ने दूसरी मस्जिद में जाने का इरादा किया, तो उन्होंने उन प्रतियों को हममें वितरित कर दिया और हमें आदेश दिया कि हम उन्हें अपने साथ दूसरी मस्जिद में लेकर आएँ; ताकि हम उसमें इसका पाठ पूरा करें और कुरआन की वे प्रतियाँ पहली मस्जिद के बजाय इसमें रहेंगी। कुछ समय बाद दूसरी मस्जिद में भी कुरआन के हल्के (मंडलियाँ) बंद हो गए, और अब कोई भी इसमें नहीं पढ़ रहा है। इसलिए मैं जाकर उस कुरआन को अपने साथ घर ले आया। अब, नौ साल से अधिक समय के बाद, मुझे वह कुरआन मिला। मुझे नहीं पता कि मुझे इसे मस्जिद में वापस कर देना चाहिए, या घर पर इसमें अपना हिफ़ज़ पूरा करना चाहिए। ज्ञात रहे कि मस्जिद में अब कुरआन याद करने के हल्के (मंडलियाँ) नहीं हैं, और उसमें उस तरह की कोई प्रति भी नहीं बची है।

विस्तृत उत्तर

हर प्रकार की प्रशंसा और गुणगान केवल अल्लाह तआला के लिए योग्य है।

मस्जिदों में रखे हुए कुरआन को दूसरी मस्जिद में स्थानांतरित करना जायज़ नहीं है, सिवाय इसके कि मस्जिद को विध्वंस (शहीद) करने के कारण उनका उपयोग बाधित हो जाए, या वे प्रत्यक्ष रूप से उस (मस्जिद) की आवश्यकता से अधिक हों, तो उन्हें दूसरी मस्जिद में स्थानांतरित किया जा सकता है, लेकिन किसी के लिए उन्हें अपने घर ले जाना जायज़ नहीं है।

शैख इब्ने बाज़ रहिमहुल्लाह ने फरमाया : “यदि एक छोटी मस्जिद को उसमें मौजूद कुरआन की कुछ प्रतियों की आवश्यकता नहीं है, तो उस मस्जिद में जिन प्रतियों की आवश्यकता नहीं है उन्हें किसी दूसरी मस्जिद में जहाँ उनकी आवश्यकता है, स्थानांतरित करने में कोई आपत्ति की बात नहीं है। क्योंकि उसका उद्देश्य नमाज़ियों का कुरआन की इन प्रतियों से लाभ उठाना है। इसके लिए मस्जिद के इमाम की अनुमति लेना अधिक सावधानी की बात है; क्योंकि वह मस्जिद की ज़रूरत के बारे में अधिक जानने वाला है।” “मजमूउल-फतावा” (15/20) से उद्धरण समाप्त हुआ।

आपके शैख ने उन्हें दूसरी मस्जिद में स्थानांतरित करके गलती की है, सिवाय इसके कि कुरआन की वे प्रतियाँ तहफ़ीज़ के हल्के (कुरआन कंठस्थ करने की मंडली) के लिए वक्रफ़ रही हों, पहली मस्जिद के लिए वक्रफ़ न रही हों, तो वह उन्हें जहाँ

भी तहफ़ीज़ का हल्का हो वहाँ स्थानांतरित कर सकता है, या वे मस्जिद की आवश्यकता से अधिक रही हों।

जहाँ तक आपके कुरआन को अपने घर ले जाने की बात है, तो यह हaram है और अब आपके लिए अनिवार्य है कि उसे पहली मस्जिद में लौटा दें।

“स्थायी समिति” (16/19) के फतवे में आया है : “क्या मुसहफ़ को घर में पढ़ने के लिए मस्जिदुल-हराम से निकालना जायज़ है?”

उत्तर : जो भी कुरआन और किताबें वक्रफ़ की जाती हैं ताकि किसी विशिष्ट स्थान पर उनसे लाभ उठाया जाए : उन्हें किसी और जगह ले जाना जायज़ नहीं है, चाहे वह हरम हो या उसके अलावा, सिवाय इसके कि उसकी जगह बेकार हो जाए, तो उसे उपयोग की दृष्टि से उसी के समान या उससे बेहतर जगह ले जाया जाएगा।” उद्धरण समाप्त हुआ।

शैख अब्दुल अज़ीज बिन अब्दुल्लाह बिन बाज़ .. शैख अब्दुल्लाह बिन गुदैयान .. शैख अब्दुल्लाह बिन क़ऊद।

शैख इब्ने उसैमीन रहिमहुल्लाह ने कहा : “हमें पता होना चाहिए कि मस्जिदों में जो वक्रफ़-शुदा चीज़ें होती हैं किसी व्यक्ति के लिए उन्हें मस्जिद से बाहर निकालना जायज़ नहीं है, भले ही उनसे लाभ उठाने के लिए हो। चुनाँचे उसके लिए अपने घर में पढ़ने के लिए कुरआन की कोई प्रति निकालना जायज़ नहीं है, और न ही अपने घर में पढ़ने के लिए मस्जिद में वक्रफ़ की गई कोई किताब निकालना जायज़ है, तथा न ही उसके लिए अपने घर में उपयोग करने के लिए बिजली का या अन्य किसी चीज़ का कोई उपकरण बाहर निकालना जायज़ है। अतः जो चीज़ भी मस्जिद के लिए विशिष्ट कर दी गई है, उसे उसमें से बाहर निकालना जायज़ नहीं है।

कुछ लोगों का सोचना यह है कि चूँकि मस्जिदों में कुरआन की जो प्रतियाँ होती हैं, मस्जिद में प्रवेश करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए सामान्य रूप से वक्रफ़ होती हैं, इसलिए किसी व्यक्ति के लिए अपने घर में अकेले उनसे लाभ उठाना जायज़ है। लेकिन यह एक गलत धारणा है। क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आप उसे ले लें, फिर मस्जिद में ऐसे लोग आएँ जिन्हें उसकी आवश्यकता हो। इस तरह आप उन्हें इससे वंचित कर देंगे, यहाँ तक कि अगर कुरआन की प्रतियों की संख्या बहुत अधिक हो, क्योंकि मस्जिद में कभी बहुत से लोग प्रवेश कर सकते हैं।

बहरहाल ; जो कुछ भी मस्जिद के लिए विशिष्ट है, किसी व्यक्ति के लिए उसे अपने घर में अलग करना जायज़ नहीं है। बल्कि यहाँ तक कि मस्जिद में भी उसके लिए उसे अलग करना जायज़ नहीं है, इस प्रकार कि वह कुरआन को लेकर उसमें से पढ़े। फिर उससे फारिग होने के बाद वह उसे किसी विशेष स्थान पर रख दे जिसे कोई न जान सके, ताकि जब वह मस्जिद में आए तो उससे पढ़े। क्योंकि सार्वजनिक चीज़ें सार्वजनिक होनी चाहिए।

जहाँ तक प्रश्नकर्ता के प्रश्न का संबंध है, जिसने कहा : उसके साथी ने उसे कुरआन की एक प्रति दी जो उसने मस्जिद से ली



थी ; तो उसके लिए अनिवार्य यह है कि वह इस कुरआन को उस मस्जिद में लौटा दे, जिससे उसके साथी ने इसे लिया था ।"

“फतावा अश-शैख इब्न उसैमीन, “नूरुन अला अद्-दर्ब” (16/2) से उद्धरण समाप्त हुआ ।

और अल्लाह तआला ही सबसे अधिक ज्ञान रखता है ।